सूचना का अधिकार अधिनियम
वर्ष 2005
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला – छिन्दवाड़ा

अध्याय–1
प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :–

संविधान के भाग 3 में नागरिको को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है जिसके अनुछेच्द 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वांतत्रय तथा वाक् स्वातंत्रय का अधिकार नागरिको को प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुछेच्द 29 (क) नागरिको केा सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार आने अपने में परदर्शी एवं सक्षम शासन को चलाने के लिए आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।

1.2 सूचना का अधिकार का उद्देश्य :–

नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या पृच्छा लोक कल्याण की भावना प्रेरित हो । यह सूचना का रिकार्ड, फाइले, रजिस्टर्स, आंकड़े, रेखाचित्र, नमूने इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती हैं। अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हम जान सकते है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सेवाएं कौन–कौन सी है, उनका लाभ कैसे और कब उठाया जा सकता हैं, आदि।

1.3 उपयोगी :–

सूचना का अधिकार पुस्तिका सभी आम नागरिको/व्यक्तियों/संस्थानों/अशासकीय संगठनों के लिए उपयोगी है क्योकि सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

1.4 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार –

1.5 आई.सी.डी.एस.– समेकित बाल विकास सेवा योजना–

5.1 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् विभागीय गतिविधियों की जानकारी से सर्व साधारण को परिचित कराना ।

5.2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् किन नियमों /निर्देशों की जानकारी सर्व साधारण को उपलब्ध कराई जा सकती है, जानकारी कहॉ से प्राप्त होगी, शुल्क इत्यादि की जानकारी से अवगत कराना।

5.3 सर्व साधारण मुख्यतः आईसीडीएस./पोषण आहार सेवा से लाभान्वित होने वाले हितग्राही, जनप्रतिनिधि

5.4 निर्धारित प्रारूप अनुसार ।

5.5 1 आईसीडीएस – एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ।
2 ए0डब्ल्यू0डब्ल्यू – आंगनवाडी कार्यकर्ता ।

3 ए0डब्ल्यू0एच – आंगनवाडी सहायिका ।
4 ए0डब्ल्यू0सी – आंगनवाडी केन्द्र ।
5 एस0एन0पी0 – पूरक पोषण आहार ।

5.6 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छिन्दवाड़ा

1.6 सम्पर्क सूत्रः–

1– सूचना के अधिकार हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, छिन्दवाडा लोक सूचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना छिन्दवाडा, सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
2– समेकित बाल विकास परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।

1.7 अतिरिक्त सूचना एवं शुल्क के लिए सम्पर्क सूत्रः–

सूचना के अधिकार के संबंध में अतिरिक्त सूचना एवं शुल्क के संबंध में विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास, छिन्दवाडा में श्रीमती अंजनी श्रीवास्तव, प्रभारी परियोजना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है तथा परियोजनाओं में उपरोक्तानुसार ।

अध्याय–2
संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :–

महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. जिले की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना ।
3. महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना ।
4. जिले में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना, ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके।
5. महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करते हुए उनकी स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन का समन्वय ।

2.2 लोक प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग का मिशन/विजन :–

विभाग महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है और इसी संदर्भ में जिले के मानव विकास प्रतिवेदन में जेन्डर विकास सूचकांक तथा बच्चों के शाला प्रवेश, शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है । आजकल विकास की नवीनतम अवधारणा के अनुसार मानव विकास सूचकांक (HDI) विकास की गति दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों की विकासीय स्थिति का मूल्यांकन भी इन्हीं सूचकांक के आधार पर करने लगे हैं । इन सूचकांकों में शिशु मृत्यु दर (IMR) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (Under Five Mortality Rate) मातृ मृत्यु दर (MMR), लाईफ एक्सपैक्टेन्सी एट बर्थ, साक्षरता दर, बच्चों का पोषण स्तर इत्यादि प्रमुख है । इन सूचकांको के अनुसार हमारे देश भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की स्थिति पिछड़े स्थानों के बीच आती थी। इन बातों को देखते हुए भविष्य के नागरिकों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना की संकल्पना की गई । इस परियोजना को क्रियाविंत करने के साथ–साथ महिला विकास की नई अवधारणा, जिसमें महिला कल्याण से उपर उठकर महिला सशक्तीकरण पर केन्द्रित योजनाओं को लागू करना निहित है, का क्रियान्वयन भी विभाग की जिम्मेदारी में शामिल हुआ है ।

2.3 लोक प्राधिकरण (महिला एवं बाल विकास विभाग) का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग:–

मध्यप्रदेश में 15 अगस्त, 86 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से इस संचालनालय को हस्तान्तरित की गई । प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया ।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :—

महिलाओं ओर बच्चों की जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास, के लिये योजनाएं चलाना तथा विभिन्न विकास विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना ।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

1. समेकित बाल विकास सेवा का संचालन।
2. महिलाओं और बच्चों के लिये शासकीय संस्थाओं का संचालन, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना।
3. महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम का संचालन/अनुदान ।
4. महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के लिए राज्य महिला आयोग का संचालन संगठन की विशिष्टिया, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 जिले की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनो की जानकारी देना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना उन्हें कुपोषण से बचाना ।
2.2 जिले की महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण अशिक्षा अज्ञानता से मुक्त करना एवं स्वस्थ्य समाज की नीव डालना ।
2.3 आईसीडीएस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को प्रदेश के दो विकास खण्डों में प्रायोगिक तौर पर किया गया । पूर्व में उक्त योजना का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था । मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया एवं महिलाओं एवं बच्चों से सम्बंधित समस्त योजनायें आदिम जाति कल्याण विभाग और पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से संचालनालय से महिला एवं बाल विकास को हस्तांतरित की गई । प्रारंभ में यह संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहा तथा वर्ष 1988 में पृथक से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया ।

2.4 (1) जिले की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
(2) बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाना ।
(3) महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढाना ।
(4) जिले में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागिण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सकें ।

(5) महिलाओं की स्वायत्ता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनकी आर्थित एवं सामाजिक स्थिति में निरन्तर सुधार लाने हेतु राज्य की महिला नीति के कियान्वयन का समन्वयक ।

2.5 1 आईसीडीएस योजना का क्रियान्वयन ।
2 किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन ।
3 लाडली लक्ष्मी योजना
4 स्वधार योजना का क्रियान्वयन
5 जागृति शिविरों का आयोजन ।
6 अति गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता।
7 मंगल दिवसों का आयोजन जैसे बच्चों का जन्म दिवस, गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, किशोरी बालिका सप्ताह आयोजन व अन्नप्राशन ।

2.6–1 आई.सी.डी.एस. योजना –

2.6–2 किशोरी शक्ति योजना –

2.7

2.8 आंगनवाडी केन्द्रों का सुचारू संचालन जिससे हितग्राही बच्चों एवं महिलाओं को आईसीडीएस सेवाओं का समुचित लाभ मिल सकें ।

2.9 आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन में समुदाय की सहभागिता लेना जैसे – आंगनवाडी भवन की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पूरक पोषण आहार व्यवस्था में व्यवधान की स्थिति में समुदाय से महिलाओं एवं बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कराना । टीकाकरण, वजन, लेने की प्रकिया में जनसमुदाय को सहभागी बनाना ।

2.10 जिला स्तर पर आईसीडीएस, किशोरी शक्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, को विभाग द्वारा जिम्मेदारी दी गई है ।

2.11 जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं समस्त विकासखण्डों बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ।

2.12 कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय सायंकाल 5.30 बजे

2.6 लोक प्र प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका विवरण समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

वर्तमान में जिले के सभी 11 विकासखण्डों में 04 आदिवासी तथा 07 ग्रामीण व जिले में 01 शहरी समेकित बाल विकास परियोजनायें संचालित है । इस प्रकार कुल 12 समेकित बाल विकास परियोजनाएं है। 12 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 2106 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 2,21,407 लाख हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। तथा शासन द्वारा फिलहाल में 380 आंगनवाडी केन्द्रों की स्वीकृति दी गई हे। जिसके विरूद्ध कार्यकर्ता व सहायिकाओं की नियुक्ति कार्यवाही समाप्ती की ओर है । जिसके उपरांत जिले में 2486 आंगनवाडी केन्द्र संचालित होगें ।

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड :–

इस योजना के तहत भारत शासन के मापदण्डों के अनुसार ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में 800 की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में 400 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाते हैं । साथ ही पहाड़ी एंव मरूस्थलीय स्थानों पर 300 या अधिक की जनसंख्या पर भी आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनवाड़ी विहीन क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया गया है।

योजना में यह भी प्रावधान है कि 300 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों/टीलों को समीपस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र से संबद्ध किया जा सकता है यदि दो ग्रामों की जनसंख्या मिलाकर आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना निश्चित हुआ है तो अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जा सकता है ।

वर्तमान में जिले में कुल 12 बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत हैं तथा बाल विकास परियेाजना का जिले में सर्वव्यापीकरण किया जा चुका है । आंगनवाड़ी केन्द्रों के युक्ति–युक्त करण के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिस्थापित किये गये जहां पर पूर्व से केन्द्र स्वीकृत नहीं थे, जिससे आई.सी.डी.एस. की सेवाओं का अधिकतम हितग्राहियों कों लाभान्वित किया गया ।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के सर्वव्यापीकरण फलस्वरूप जिले में पहुंच विहीन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु कुल 2106 आंगनवाडी केन्द्र संचालित किये जा रहे है।

जिले में संचालित 11 परियोजनाओं का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

परियोजनाओं का प्रकार	परि0 की संख्या	स्वीकृत आगंनवाड़ी केन्द्र	कुल
ग्रामीण	07	1144	1144
आदिवासी	04	882	882
शहरी छिन्दवाडा	1	80	80
कुल	12	2106	2106

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार सेवाऍ समन्वित रूप से दी जाती है :–

1. **पूरक पोषण आहार :–**

6 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा वर्ष में 300 सौ दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता हैं । जिले में वर्तमान में नवीन पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को शासन द्वारा एमपी एग्रो के माध्यम से पंजीरी तथा 3 से 06 के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं को आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से सप्ताह में विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रदाय किये जा रहे है।

2. **स्वास्थ्य जॉच :–**

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जॉच की जाती है। स्वास्थ्य जॉच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।

3. संदर्भ सेवाऍ :–

स्वास्थ्य जॉच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड/जिलास्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।

4. टीकाकरण :–

प्रति आंगनवाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह के कोई एक दिन टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है । टीकाकरण के दौरान हितग्राहियों की स्वास्थ्य जॉच भी की जाती है।

5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा :–

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा संतुलित भोजन के बारे में सलाह दी जाती है।

6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :–

आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना भी है जिससे वह प्राथमिक स्कूल में ओर बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें । इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैस – जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है । बच्चों के खेलने हेतु खिलौनों का क्रय करने के लिए प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष 500 रूपये की राशि का प्रावधान है । जिसके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रतिवर्ष एक प्री–स्कूल किट उपलब्ध कराया जाता हैं ।

7. स्वास्थ्य सेवाऍ :–

विभाग द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाऍ पृथक से नहीं दी जाती है बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को स्वास्थ्य संम्बन्धी सेवाऍ देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता हैं । आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाऍ स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती है। विभाग द्वारा प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराया जाता है । जिसमें सामान्य बिमारीयों के प्राथमिक उपचार के लिए दवाईयॉ दी जाती हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त दवाईयों का उपयोग ए.एन.एम की मदद एवं मार्गदर्शन से किया जाता है । मेडिसिन किट्स के लिए प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष 600

रूपये की राशि का प्रावधान है । महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अमले में सामजस्य स्थापित करने हेतु प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास के हस्ताक्षर से संयुक्त कार्ययोजना समस्त जिलों को प्रेषित की गई है। दोनों विभागों के समन्वय से आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियो को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने की संभावना है ।

8. भवन :— विश्व बैंक सहायित आई.सी.डी.एस. ।।। परियोजना अंतर्गत एवं अन्य मदों से निर्मित भवनों/हेण्डपम्प की स्थिति—

1— जिले के परियोजनाओं में कार्यालय सह गोदाम व आंगनवाडी भवनों निर्माण की स्थिति :—

क्रं0	विवरण	विभागीय	विश्व खाद्य कार्यक्रम	अन्य मद	कार्या0 सह गोदाम	कुल
1	पूर्ण भवन संख्या	254	01	66	05	326
2	निर्माणाधिन भवनों की संख्या	7	0	0	0	7
3	प्रारंभ किये जाने वाले	0	0	0	0	0

2— जिले के परियोजनाओं में आंगनवाडी केन्द्रों स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प भी स्थापित किये गये है। निर्माण की स्थिति :—

क्रं0	विवरण	विश्व बैंक	सफल	असफल	निर्माणाधिन	प्रारंभ	कुल	रिमार्क
1	हेडपम्प संख्या	220	143	67	10	0	220	

3— जिले के परियोजनाओं पर्यवेक्षक भवनों के निर्माण की स्थिति :—

क्रं0	विवरण	महिला कल्याण कोष	समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	कुल	रिमार्क
1	पूर्ण भवन संख्या	03	01	04	

4— प्रीस्कूल किट —

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2001 में आंगनबाडी केन्द्रों में प्रतिवर्ष मेडिसिन किट एवं प्री—स्कूल किट प्रदाय करने का निर्णय लिया था । उक्त आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा

आंगनबाडी केन्द्रों को प्रतिवर्ष मेडिसिन किट एवं प्री–स्कूल किट प्रदाय किये जाते है । विभाग आई.सी.डी.एस. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय मद में विभाग प्रदान करता है ।

9. किशोरी शक्ति योजना :–

किशोरी शक्ति योजना 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल संतुलित भोजन व आर्थिक स्वालंबन हेतु प्रशिक्षण देने के लिये जिले की सभी 11 बाल विकास परियोजना में अक्टूबर, 2001 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये बालिकाओं के चयन हेतु निम्न मापदण्ड तय किये गये हैं :–

1. बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो ।
2. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में भी सर्वप्रथम शाला त्यागी बालिका को प्राथमिकता दी जाए ।
3. उपरोक्त दोनों मापदण्ड पूरी करने वाली 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं का चयन प्रारम्भ वर्ष में किया जाए ।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार चयनित किशोरी बालिका की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है । इस योजना में जिला स्तरीय प्रशिक्षण, विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर विभिन्न स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है । प्रशिक्षण के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग 18 किशोरी बालिकाओं का चयन कर उनको 3 विभागीय पर्यवेक्षक, ए0एन0एम0 तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य जीवनोंपयोगी जानकारी भी दी जाती है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षणों का आयोजन तीन–तीन माह के अंतराल पर दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के समय ए0एन0एम0 द्वारा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन फोलिक एसिड की गोलियां तथा आवश्यक होने पर डिवार्मिंग गोलियां भी उपलब्ध करायी जाती है । वर्तमान में उक्त योजना जिले की सभी 11 परियोजनाओं में संचालित की जा रही है ।

10. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम :–

विभाग द्वारा स्वीकृत 12 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 2106 आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार की व्यवस्था राज्य सरकार की निधि से की जा रही है । आंगनवाडी केन्द्रों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं एवं कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है । 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को 80 ग्राम पूरक पोषण आहार प्रतिदिन दिया जाता है, जिसमें 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन होता है । गर्भवती/शिशुवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को यही मात्रा दुगनी अर्थात 160 ग्राम प्रति हितग्राही प्रतिदिन दी जाती है । वर्तमान में 12 परियोजनाओं में पोषण आहार प्रदाय व्यवस्था स्व–सहायता समूह द्वारा की जा रही है ।

1— **स्व–सहायता समूह** – मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास, विभाग अनुसार 12 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में नवीन पूरक पोषण आहार की व्यवस्था अंतर्गत नवीन पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों द्वारा आटा, सूजी, मिर्च मसाले प्रदाय किये जा रहे है जिससे राज्य शासन मंशानुसार महिला स्व–सहायता समूहों महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यवस्था लागू की गई है।

2— **प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना** –मध्यप्रदेश में 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। परन्तु 6 माह से 3 वर्ष तक के शिशुओं में यह समस्या अत्यन्त गंभीर है। महिला एवं बाल विकास छिन्दवाडा द्वारा गत छः बाल संजीवनी अभियान में कुपोषण का प्रतिशत 47.40 पाया गया है। 6 माह से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले समस्त बच्चों को केवल दलिया ही दिया जाता है। यद्यपि दलिया काफी पौष्टिक है, परन्तु 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए और अधिक पोष्टिक आहार की आवश्यकता केन्द्र सरकार द्वारा महसूस की गई है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चो को और अधिक पोष्टिक आहार देने की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा भी महसूस की गई है एवं प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 3 वर्ष तक के बच्चों के लिये पाउडरी फोटीफाईड एवं शीघ्र घुलनशील पोषण आहार देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

''उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम''

आई.सी.डी.एस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भाग है । यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से संचालित है इस कार्यक्रम के माध्यम से आई.सी.डी.एस. के मैदानी अमले जिनमें बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका शामिल है को सत्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत जॉब प्रशिक्षण एवं एक निश्चित समय अंतराल के बाद प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है। समेकित बाल विकास सेवा योजना में प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
2. सामुदायिक सहभागिता के लिए वातावरण का निर्माण करना ।
3. आंगनवाड़ी के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
4. आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जाना सुनिश्चित करना ।
5. मैदानी अमले को योजना की सेवाओं के संबंध में प्रत्यास्मरण एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन करते हुए सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना ।

वर्तमान में जिले में 12 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 2106 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे है । इस व्यापक मैदानी अमले के प्रशिक्षण को एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए तथा बाल विकास सेवा परियोजना की एकीकृत सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 1999 से विश्व बैंक की सहायता से उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया। जिसे वर्ष 2006–07 से आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से जाना जा रहा है।

जिले में आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के कार्य में बाल कल्याण परिषद द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इस संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का मार्च 2008 तक प्रशिक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। जिसके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है ।

जिले में वर्तमान में प्रशिक्षण का निम्नानुसार बैंकलॉग हैः–

क्रं0	विवरण	मूलभूत प्रशिक्षण	प्रत्यास्मरण	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	01	03	01 परियोजना अधिकारी पूर्णतः मूलभूत प्रशिक्षण अप्रशिक्षित है। 03 परियोजना अधिकारी प्रत्या0 प्रशिक्षण लिये दो वर्ष पूंर्ण अतः पूर्ण पात्र
2	पर्यवेक्षक	0	15	15 प्रत्या0 प्रशिक्षण लिये दो वर्ष पूंर्ण अतः पूर्ण पात्र
3	सहायक महिला बाल विस्तार अधि0	0	07	07 प्रत्या0 प्रशिक्षण लिये दो वर्ष पूंर्ण अतः पूर्ण पात्र
4	आंग0 कार्यकर्ता	187	403	
5	आंग0 सहायिका	262	105	

जिले के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों/आंग0कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं के मूलभूत/ प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण हेतु पात्र है प्रशिक्षण का बैकलॉग समय–सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा ।

2.7 लोक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढ़ॉचा

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएॅ

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

2.11 जिला कार्यालय तथा विकासखण्ड स्तरीय परियोजना कार्यालयों के पतेः–

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम वर्ग	पदस्थापना कार्यालय	मुख्यालय	कार्यालयका दूरभाष क्रमांक	निवास का दूरभाष क्रमांक व मोबाईल नम्बर

1	2	3	4	5		6
1	श्री एच.के. शर्मा	जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	महिला एवं बाल विकास कार्यालय–छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	07162–243421	07162–245694 9424584911
2		जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	महिला एवं बाल विकास कार्यालय–छिंदवाड़ा	छिन्दवाडा	पद रिक्त है।	–
		परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना बिछुआ	बिछुआ	पद रिक्त है।	
3	श्री आर0 के0 सिंग एएसओ	सहायक सांख्यिकिय अधिकारी प्रभारी परि0 अधि0	एकीकृत बाल विकास परियोजना बिछुआ	बिछुआ	07162–259641	9425845932
4		परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना जामई	जामई	पद रिक्त है।	–
	श्री अशोक तिवारी	स्हा0साख्यि0अधि0 प्रभारी परि0 अधि0	एकीकृत बाल विकास परियोजना जामई	जामई	07160–230120	9300411174
5	श्री नरेन्द्र वर्मा	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना तामिया	तामिया	07149–272334	9425440718, 9907320075
6	श्री सज्जनसिंग कठैत	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना सौंसर	सौंसर	07165–220107	9425819421
7	श्रीमती अनिता राय	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना चौरई	चौरई	07166–222617	9329608906
		परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना हर्रई	हर्रई	पद रिक्त है।	
8	सुश्री रेखा शुक्ला	पर्य0 प्रभारी परि0 अधि0	एकीकृत बाल विकास परियोजना हर्रई	हर्रई	07168–220237	9424721041
9	सुश्री कौशल्या गणेशे	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना , परासिया	परासिया	निलंबित है।	
	श्रीमति उरनधती धकाते	पर्यवेक्षक परि0 अधि0	एकीकृत बाल विकास परियोजना , परासिया	परासिया	07161–222129	942477310
		परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना , छिन्दवाडा	छिन्दवाडा	पद रिक्त है।	
10	श्रीमति अंजनी श्रीवास्तव	प्रभारी परियोजना अधिकारी (तृतीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना , छिन्दवाडा	छिन्दवाडा	07162–246520	9424725613
11	श्री बालकराम साहु	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना पांढुर्णा	पाढुर्णा	07164–222158	9425873631

	श्री राजेन्द्र बागरे	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना पांढुर्णा	पाढुर्णा	निलंबित है।	
12	श्री सज्जनसिंग कठैत	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना मोहखेड	मोहखेड	07162—255739	9425819421
13	श्री प्रशांतदीपसिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	एकीकृत बाल विकास परियोजना अमरवाडा	अमरवाडा	07167—222416	9425843463
14	सुश्री अन्नपूर्णा उईके	परियोजना अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	शहरी एकीकृत बाल विकास परियोजना छिन्दवाडा	शहरी छिन्द0	07167—247189	9425819298

2.12 कार्यालय के खुलने का समय — प्रातः 10.30
कार्यालय बंद होने का समय — साय 5.30

अध्याय–3
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद नाम		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	1. प्रशासकीय विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) – प्रथम एवं व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों से संबंधित समस्त अधिकार 2. आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग– व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन के अधिकार । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिकार 3. संभागीय आयुक्त– व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय जॉच तथा लघु शास्ती एवं निलंबन के अधिकार 4. कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)– चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार, अवकाश स्वीकृति के अधिकार 5. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी–तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 30 दिवस के अवकाश स्वीकृति के अधिकार
	वित्तीय	
	अन्य	
	कर्तव्य	1. आयुक्त – महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों, योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मूल्याकंन करना तथा योजनाओं की प्रगति की जानकारी भारत सरकार को भेजना, महिलाओं एवं बच्चो के विकास से संबंधित सूचकांकों के स्तर में सुधार के प्रयास करना 2. परियोजना संचालक– विभाग की समस्त योजनाओं का संचालन करना विशेष कर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन और उसका मूल्याकंन सुनिश्चित करना, आईसी.डी.एस. की सेवाओं की क्षेत्रीय स्तर तक की पहुंच के लिये अन्य विभागों से समन्वय करना। 3. जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी – विभाग के व्दारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण , प्रतिमाह का रोस्टर तैयार कर माह मे कम से कम दो परियोजनाओं का निरीक्षण, आगनवाड़ीयों का निरीक्षण, जिले में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, आई.सी.डी. एस. कार्यक्रम की सांख्यिकी जानकारी तैयार कर मूल्याकंन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के पदों की पूर्ति, आंगनवाड़ी के सेवाओं का लाभ सभी हितग्राहीयों को पहुचाना, निर्धारित प्रगति प्रतिवेदन वरिष्ट कार्यालय तक पहुचाना , विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु अन्य विभागों से समन्वय आदि। 4. बाल विकास परियोजना अधिकारी– आई.सी.डी.एस. की प्रमुख कार्यकारणी के रूप मे क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियां सुनिश्चित करना, परियोजना मे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना, रिकार्ड का उचित रखरखाव, सभी केन्द्रों में पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आई.सी.डी.एस. की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना, सेवाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना, वरिष्ठ कार्यालयों को प्रगति प्रतिवेदन भेजना ।

अराजपत्रित

3.1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध करायें ।

पद नाम	सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/पोषण आहार निरीक्षक/पर्यवेक्षक/सहायक वर्ग–1/सहायकवर्ग–2/सहायक वर्ग–3/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार	
शक्तियां	प्रशासकीय	1.निरंक 2.
	वित्तीय	1.निरंक 2.
	अन्य	1.निरंक 2.
	कर्तव्य	1.सहायक सांख्यिकी अधिकारी –द्वारा परियोजना की क्षेत्रीय जानकारी,लक्ष्य –उपलब्धी की रिर्पोटिंग एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रेषित करना आदि(विस्तृत जानकारी पृष्ठ कमांक 15 से 18 तक संलग्न है) । 2.सहायक परियोजना अधिकारियों परियोजना अधिकारी के अधीनस्त उनके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यो में सहायोग प्रदान करते है जैसे निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठको एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदनों संबंधित जानकारी का संकलन एवं जांच कर प्रेषित करवाना आदि (पृष्ठ क कमांक 13–14 पर विस्तृत जानकारी) 3.पोषण आहार निरीक्षक –जिलें में निर्धारित क्षेत्र में भ्रमण कार्य,खाद्यान की व्यवस्था, निरीक्षण एवं मानदेय आदि का भुगतान की व्यवस्था एवं खाली बारदाने की बिकी आदि कार्य ।(पृष्ट कमांक 20–24 तक विस्तृत जानकारी संलग्न) । 4.पर्यवेक्षक –आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण/मानदेय का भुगतान कराना –टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की जानकारी प्रस्तुत करना एवं मासिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रस्तुत करना, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय एवं जिला स्तर पर आयोजित जिला अधिकारी के निर्देशानुसार बैठको में भाग लेना आ आदि ।(पृष्ठ कमांक 25 से 30तक) 5.सहायक ग्रेड–1,2,3 –जिला अधिकारी के निर्देशानुसार लिपिकीय कार्य का संपादन एवं अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौपे गये अन्य कार्यो को करना । 6.वाहन चालक –जिला अधिकारी को आवंटित वाहन को निर्देशानुसार संचालन करना आदि । 7.भृत्य/चौकी चौकीदार– अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से संपन्न करना ।

अध्याय–4
कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम,विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों व्दारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम– अभिलेख का प्रकार नियम
राजपत्रित भर्ती नियम 1991

निम्न मे से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)

इसके अतिरिक्त म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, म.प्र. संशोधित पेंशन उप नियम–59 के उप नियम (1) तहत कार्यवाही करना। इन नियमों की प्रतियां सभी परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यालयों तथा संचालनालय में उपलब्ध है।

नियम

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों व्दारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)
अभिलेख का नाम– अभिलेख का प्रकार
किसी अधिकारी व्दारा दिये गये अभ्यावेदन
पर हुई कार्यवाही

निम्न मे से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

किसी अधिकारी की विभागीय जॉच/अन्य जॉच/शिकायत/अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही/ अवकाश स्वीकृति तथा अनापत्ति आदि जारी न करने पर संबंधित के व्दारा चाहे गये अभिलेख (यदि वें गोपनीय नहीं है तो) नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते है ?

पताः जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास, छिन्दवाड़ा
दूरभाषः 07162–243421
ईमेल wcdchi@mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) निरंक

अराजपत्रित

4.1.लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत कराये (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम– मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम – 1995

अभिलेख का प्रकार–भरती नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय–सहायक परियोजना अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/पोषण आहार निरीक्षक/अधीक्षक बाल संरक्षण गृह/सहायक महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी आदि के भरती नियम एवं समय समय पर निकाले गये संशोघन नियम,विनिमय,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते है ?

पताः जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास, छिन्दवाड़ा
दूरभाषः 07162–243421
ईमेल wcdchi@mp.nic.in

अध्याय–5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी की परामर्श भागीदारी को कोई प्रावधान नही है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान नही है।

अध्याय–6
लोक प्राधिकारी के पास उनके नियंत्रण मे उपलब्ध दस्तावेजो दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजो की जानकारीः–

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें । साथ यह भी बताये की यह दस्तावेज कहॉ उपलब्ध रहते है जैसे कि जिला स्तर पर/परियेाजना स्तर पर, अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र.संख्या	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्तकरने के लिये प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	नियम	पेंशन संबंधी नियम पुस्तक	निर्धारित प्रकिया के अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी
2	नियम	अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकार पुस्तक	निर्धारित प्रकिया अनुसार	कार्यालय प्रमुख स्तर के अधिकारी

टीपः– अधिकारी / कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संशोधित पेंशन नियम 59 के उपनियम(1) के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख से 13 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख प्रारूप 6 (क) तथा 6 (ख) में पेंशन पत्रों को तैयार करने का वास्तविक कार्य करेगा तथा सेवा निवृत्ति के 6माह पूर्व अपेक्षित सेवा अभिलेख के साथ पेंशन प्राधिकृत करने वाले कार्यालय को भेजेगा ।

अध्याय–7
बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायो विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, एवं अन्य निकायों का सक्षिप्त विवरणः—

- संबंध संस्था का नाम एवं पता— ——————निरंक——————
- सबंध संस्था का प्रकार — ———
- संस्था का सक्षिप्त परिचय — ———
- भूमिका — ———
- सदस्य —
- मुख्य अधिकारी
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते
- बैठक की आवृति
- बैठक में जनता भाग नही ले सकती हैं
- बैठक के कार्यवृत तैयार किया जाता हैं
- जनता बैठक में कार्यवृत नही कर सकती
- संबंध संस्था का नाम एवं पता— ————————
- सबंध संस्था का प्रकार — ———————
- संस्था का सक्षिप्त परिचय — ————
- भूमिका — ——————
- सदस्य —
- मुख्य अधिकारी
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते
- बैठक की आवृति बैठक में जनता भाग नही ले सकती हैं
- बैठक के कार्यवृत तैयार किया जाता हैं

7.2 लोक प्राधिकरण से संबंद्ध समितियों का सक्षिप्त विवरणः—

(1)—

- संबंध संस्था का नाम एवं पता—
- सबंध संस्था का प्रकार — शासकीय

संस्था का सक्षिप्त परिचय —

- भूमिका — कार्यकारिणी
- सदस्य — 05
- मुख्य अधिकारी — कलेक्टर छिन्दवाडा
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते — कलेक्टर महिला एवं बाल विकास छिन्द0
- बैठक की आवृति
- बैठक में जनता भाग नही ले सकती हैं

- बैठक के कार्यवृत तैयार किया जाता हैं
- जनता बैठक में कार्यवृत नही कर सकती

(2)–

- संबंध संस्था का नाम एवं पता– महिला उत्पीडन समिति छिन्दवाडा
- सबंध संस्था का प्रकार –
- संस्था का सक्षिप्त परिचय – कामकाजी महिलाओं के कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकने के लिये दिशा निर्देश जैसे– शारीरिक संबंध या फिर किया गया प्रयास, सहवास की मांग या अनुरोध, अश्लील हरकते, अश्लील साहित्य या प्रस्तुतीकरण, एवं किसी और प्रकार का शारीरिक, मौखिक या भंगिमाओं से किया गया आपत्तीजनक व्यवहार
- भूमिका – कार्यकारिणी
- सदस्य संख्या– कुल 05
- मुख्य अधिकारी – जिला कार्यक्रम अधिकारी, छिन्दवाडा
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते– महिला एवं बाल विकास छिन्दवाडा
- बैठक की आवृति– प्रत्येक माह में
- बैठक में जनता भाग नही ले सकती हैं
- बैठक के कार्यवृत तैयार किया जाता हैं
- जनता बैठक में कार्यवृत नही कर सकती

अध्याय–8
लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी

क0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एच0के0शर्मा,	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07162–	243421	245794	–	wcdchi@mp.nic.in	कलेक्ट्रेट परिसर

क्रमांक	
विषय	स्थापना संबंधी / पोषण आहार / आई.सी. डी.एस. / अनुदान / योजना / सामाजिक विकास / लेखा / बजट / आडिट / संचार / प्रशिक्षण / मूल्यांकन
दिशा–निर्देश	शासन के दिशा निर्देश
निर्णय लेने की प्रकिया	शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पदनाम	कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी / परियोजना अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	कलेक्टर
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कहा अपील करें	कलेक्टर

लोक प्राधिकरण का नाम
सहायक लोक अधिकारी –

क.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	निवास			
1	श्रीमती अंजनी श्रीवास्तव	परियोजना अधिकारी छिन्दवाडा	07162	246520	243745	–	–	–

लोक सूचना अधिकारी –

				दूरभाष			

			डी.कोड	कार्यालय	निवास			
1	श्री एच0के0शर्मा,	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07162–	243421	245794	–	wcdchi@mp.nic.in	कलेक्ट्रेट परिसर

विभागीय अपीलेट अथोरिटी –

क.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	निवास			
1	श्री अरूण पाण्डेय	कलेक्टर	07162	242302	242303	244467		कलेक्ट्रेट परिसर

अध्याय–9
निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए शासन के नियमो (सचिवालय मैनुअल) के परिपेक्षय में परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

9.2 किसी विषय पर निर्णय लेने शासन के निर्धारत नियमों एवं विभागीय सेटअप अनुसार विचार किया जाता है।
9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुचाने के लिए प्रिन्ट मिडिया की व्यवस्था है।
9.4 निम्न अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती हैः—

कलेक्टर

↓

जिला कार्यक्रम अधिकारी

↓

परियोजना अधिकारी

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए निम्नानुसार प्राधिकारित अधिकारी हैः—

जिला स्तर पर	कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी
परियोजना स्तर पर	परियोजना अधिकारी

9.6 प्रमुख विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता हैः—

अध्याय–10
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जिला वार दें ।

क.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	निवास			

1	श्री एच0के0शर्मा,	जिला कार्यक्रम अधिकारी	07162—	243421	245794	—	wcdchi@mp.nic.in	कलेक्ट्रेट परिसर

अध्याय–11
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

11.1. जानकारी निम्नानुसार है::–

क	नाम	पदनाम	मासिक परिश्रमिक,	परितोषिक, परितोषिक भत्ता	परिश्रमिक के निधारिण की पद्वति जो नियमावली में दी गयी हों	रिमार्क
1	श्री एच0के शर्मा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	17984.00	—	शासन द्वारा देय अनुसार	
2	सुश्री अन्नपूर्णा उईके	शहरी परि0अधि		—	—	
3	श्री एम0 आर0 कोल्हे	आडिटर	8125.00	—	—	
4	श्री संतोष सूर्यवंशी	सहा0ग्रेड 02	6875.00	—	—	
5	श्री सुनील ठाकुर	सहा0ग्रेड 02	8304.00	—	—	
6	श्री ललित कोयपरे	सहा0ग्रेड 02	7523.00	—	—	जिला पंचायत में संलग्न ।
7	श्री वकील अहमद खान	सहा0ग्रेड 02	7510.00	—	—	
8	श्री आकाश सक्सेना	सहा0 ग्रेड 03	4926.00	—	—	
9	श्रीमति ज्योति कमाले	सहा0ग्रेड 03	4752.00	—	—	
10	श्री मो0 अफसर नियाजी	सहा0ग्रेड 03 (स्टेनोटाय0)	10264.00	—	—	
11	श्री यूवराज शर्मा	वाहन चालक	7541.00	—	—	क्लेक्ट्रेट में संलग्न ।
12	श्री प्रमोद सोनी	भृत्य	5794.00	—	—	जिला नाजीरात में संलग्न ।
13	श्री पुलीराम कौडेंती	भृत्य	4819.00	—	—	
14	श्रीमति कलावती रावत	भृत्य	4916.00	—	—	
15	श्री रंजनलाल कुमरे	चौकीदार	4672.00	—	—	
16	श्रीमति हुश्न बानो खान	सहा0सिलाई निर्देशिका	7243.00	—	—	सिलाई केन्द्र में पदस्थ

अध्याय–12
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावो प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले प्राधिकरणों के लिए

12 12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येंक अभिकरण को आवंटित बजठ की सूचना

(योजनाओ ,व्यय प्रस्ताओं तथा धन वितरण)

सूचना के अधिकार अन्तर्गत विकास विभाग(महिला एवं बाल विकास विभाग) से संबंधित जानकारी वर्ष 2007–08

क्र	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (केश्तो में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आई.सी.डी.एस सेल वेतन भत्ते				902215.00		902215.00	412333.00	
2	निर्देशन प्रशासन वेतन भत्ते				732522.00		732522.00	348228.00	
3	शासकीय सिलाई केन्द्र वेतन भत्ते				133811.00		133811.00	57570.00	
4	परियोजनाऐं वेतन भत्ते				33159327.00		33159327.00	18407040.00	
5	किशोरी शक्ति योजना				1320000.00		1320000.00	760120.00	
6	अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व सहायता योजना				281600.00		281600.00	190500.00	
7	महिला जागृति शिविर				138000.00		138000.00	35000.00	
8	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान				100000.00		100000.00	0	
9	मंगल दिवस				2932992.00		2932992.00	1263000.00	
10	आदिवासी परि0 पो0आहार				9333000.00		9333000.00	9325997.00	
11	ग्रामीण परियोजना पो0आहार				30166000.00		30166000.00	24576269.00	
12	शहरी परियोजना केन्द्र				3000000.00		3000000.00	2940051.00	
13	दसवा बाल संजीवनी कुपोषण अभियान				675700.00		675700.00	585300.00	
14	लाडली लक्ष्मी योजना				1896000.00		1896000.00	1896000.00	
15									
16									

17									
18									
19									
20									

नोट– 1. प्रपत्र में लोक प्राधिकरण से आशय लोक सेवा (सामाजिक विकास) विकास कार्यों से संबद्ध महिला एवं बाल विकास विभाग से है ।

अध्याय–13
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

सूचना के अधिकार अंतर्गत विभाग से संबंधित जानकारी 2007–2008

क	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन के लिए जिम्मेदार अधिकारी

1	2	3	4	5	6
	निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिए संस्था	आश्रय, पोषण, प्रशिक्षण से पुनर्वास सहायता	जिले में वर्ष 86 से संचालित	निरंतर	सहा0सिलाई निर्देशिका/ जिला कार्यक्रम अधिकारी
	अति गरीब गर्भवती महिलाओं को सहायता	गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता प्रदान करना।	वर्ष 2004–05	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी
	महिला जाग्रति शिविर	अधिकारो, विकास की गतिविधियों के प्रति चेतना जाग्रत करना।	जिले में वर्ष 86 से संचालित	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी
	आयुष्मति योजना	ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला/बालिका अथवा कुपोषित बालिकाओं को निःशुल्क चिकित्सा सहायता	वर्ष 1991	शासन द्वारा माह अप्रेल 07 से बंद कर स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरीत कर दी गई है।	
	बालिका समृद्धि योजना	बालिकाओं के जन्म के प्रति भेदभाव समाप्त करना। पूर्ण अधिकार व शिक्षा हेतु प्रेरित करना।	वर्ष 97	शासन द्वारा माह अगस्त 06 से बंद कर दी गई है।	
	महिला स्व–सहायता समूह	महिलाओं में बचत की आदत, आत्मनिर्भरता	——	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी
	ग्राम्या योजना	महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।	वर्ष 1991	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी
	लाडली लक्ष्मी योजना	बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, शैक्षिणिक/स्वास्थ्य स्तर, में सुधार एवं उज्जवन भविष्य की आधारशिला रखना ।	वर्ष 2007–08	निरंतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी
	मंगल दिवस	सामुदायिक सहभागिता को बढवा देने हेतु ।	वर्ष 2007–08	निरतर	जिला कार्यक्रम अधिकारी /परियोजना अधिकारी

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

उद्देश्य : ऐसी बालिकाएं, जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती और उनके माता–पिता उनसे आर्थिक उपार्जन के कार्य कराते हैं, को जन सहयोग से आर्थिक सहायता दिलायी जाना ताकि ऐसी बालिकाये पढ़ाई प्रारंभ कर सकें ।

पात्र हितग्राही :

अ–ऐसी बालिकायें जिन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया है।

ब–जो स्कूल में पढ़ रही है। परन्तु गरीबी के कारण उनके स्कूल छोड़ने की संभावना है।

स–वे बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गई है।

योजना :

कोई भी व्यक्ति दत्तक ले सकता हैं । दत्तक लेने वाला व्यक्ति प्राथमिक शाला वाली बालिका के लिये 30 रू.और माध्यमिक शाला वाली बालिका के लिये 40 रू. प्रतिमाह की राशि दस माह तक बालिका के पिता और अभिभावक को प्रदाय करेगा । राशि सीधे बालिका के माता–पिता को या जिला कलेक्टर (दत्तक पुत्री शिक्षा योजना) के नाम से खोले गये खाते में नगद जमा कर सकता है। यह राशि संबंधित बालिका के माता–पिता यो अभिभावक को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। समाज सेवी संस्थाए भी इस योजना में बालिकाओ को दत्तक ले सकती है ।

कार्यक्षेत्र : संपूर्ण जिले में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिये ।

चयन :

बालिका का चयन स्कूल के प्रधान अध्यापक, ग्राम सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम के प्रभावशील व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है ।

संपर्क :

1.ग्राम स्तर पर – स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक से ।

2.विकासखंड स्तर पर – विकासखंड शिक्षा अधिकारी से।

3.जिला स्तर पर – उपसंचालक, शिक्षा अथवा जिला शिक्षाअधिकारी से ।

राष्ट्रीय मेटरनिटी बेनिफिट योजना

उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी और ग्रामीण परिवार की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिये आर्थिक सहायता सुलभ कराना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र :

योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली ग्रामीण और शहरी परिवारों की गर्भवती माताओं को प्रसव से 500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती हैं। यह राशि प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पूर्व एक मुश्त दी जाती है। योजना माह नवम्बर 90 से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। भारत सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इस योजना की राशि भारत सरकार सीधे जिला पंचायतों को दी जाती है।

पात्र हितग्राही :

योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है :–

(1) गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष अथवा अधिक हो ।

(2) गर्भवती महिला गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की हो ।

(3) सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित जन्म तक ही देय होती है।

हितग्राही चयन प्रक्रिया :

पात्र गर्भवती महिला को योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन देना होता है।

योजना का कियान्वयन की प्रकिया :

ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त आवेदन पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर फैसला करती है। शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरी निकाय को स्वीकृति के अधिकार है। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर आवश्यक निर्णय लेते है ।

अस्वीकृत की दशा में आवेदिका को स्पष्ट कारण भी बताना आवश्यक है।

सम्पर्क –

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के प्रतिनिधि।

बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य :

गरीब परिवार में जन्मी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिका को सर्वागीण उन्नति के अवसर देकर समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना ।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्रः

यह योजना 2 अक्टूबर 1997 में सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। गरीब परिवार की महिला द्वारा 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका को 500 रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिये आवेदन दिया जा सकता है। बालिका को शिक्षा के लिये 6 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक छात्रवृत्ति भी इस योजना में दी जाने का प्रावधान है।

सम्पूर्ण जिला में योजना का कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला और अगस्त 97 के बाद जन्मी बालिकाएँ।

हितग्राही चयन प्रकिया :

परिवार के कुल बच्चों में से दो बालिकाओं को ही योजना का लाभ दिया जाता है।

योजना कियान्वयन की प्रकिया :

ग्राम पंचायत नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही का आवेदन प्राप्त कर क्रियान्वयन एजेंसी को प्रेषित किया जाता है।

संपर्क :

महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी

आयुष्मति योजना

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की महिलाओं और बालिकाओं को बीमार होने पर उपचार और पौष्टिक आहार का प्रबंध करना ।

योजना का स्परूप और कार्यक्षेत्रः इस योजना में भूमिहीन परिवार की अस्वस्थ महिला और बालिका को एक सप्ताह तक उपचार के लिये चिकित्सालय में दाखिल रहने पर 400 रूपये तक की सहायता,दवाइयों और पौष्टिक आहार के लिये दी जाती है। एक सप्ताह से अधिक की अवधि की स्थिति में सहायता राशि 1000 रूपये प्रति रोगी दी जाती है।

सहायता राशि उपचार के लिये दवाएँ, अतिरिक्त आवश्यक पौष्टिक आहार और फल तथा रोगी के साथ आये परिजन को दिन में भोजन की व्यवस्था पर व्यय की जा सकती है।

इस योजना में रोगी के परिजन के ठहरने के लिये जिला चिकित्सालय परिसरों में ही विश्रामालय बनाये गये है। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है ।

पात्र हितग्राही :

ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला या बालिका जो अस्वस्थ हो और उपचार के लिये प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल या जिला चिकित्सालय में दाखिल हुई हो अथवा अति कुपोषित बालिका ।

संपर्क : महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी

अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व सहायता राशि के लिये योजना

(नवीन योजना)

उद्देश्य :

अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व आर्थिक सहायता के लिये यह योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व स्वयं ही देख–भाल और प्रसव के लिये होने वाले व्यय की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति की जाना है।

योजना का स्परूप और कार्यक्षेत्रः

अति गरीब महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक प्रति प्रसव रूपये 500/– की प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

कार्यक्षेत्रः– योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला है।

पात्र हितग्राही :

योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है :–

(1) गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या अधिक हो ।

(2) सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक देय होगी ।

(3) गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा के नीचे अत्यंत गरीब हो एवं अति गरीब के लिये पूर्व कराये गये सर्वेक्षण में पंजीकृत हो अथवा नीला राशन कार्डधारी हो।

(4) सहायता राशि 500 रूपये होगी,जो यथा संभव प्रसव के 6 माह पूर्व दी जावेगी ।

संपर्क :महिला बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी

अध्याय–14

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

अध्याय–15
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना

उद्देश्य : ऐसी बालिकाएं, जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती और उनके माता–पिता उनसे आर्थिक उपार्जन के कार्य कराते हैं, को जन सहयोग से आर्थिक सहायता दिलायी जाना ताकि ऐसी बालिकाये पढ़ाई प्रारंभ कर सकें ।

पात्र हितग्राही :

अ–ऐसी बालिकायें जिन्होंने गरीबी के कारण स्कूल छोड़ दिया है।

ब–जो स्कूल में पढ़ रही है। परन्तु गरीबी के कारण उनके स्कूल छोड़ने की संभावना है।

स–वे बालिकायें जो कभी स्कूल नहीं गई है।

योजना : कोई भी व्यक्ति दत्तक ले सकता हैं । दत्तक लेने वाला व्यक्ति प्राथमिक शाला वाली बालिका के लिये 30 रू.और माध्यमिक शाला वाली बालिका के लिये 40 रू. प्रतिमाह की राशि दस माह तक बालिका के पिता और अभिभावक को प्रदाय करेगा । राशि सीधे बालिका के माता–पिता को या जिला कलेक्टर (दत्तक पुत्री शिक्षा योजना) के नाम से खोले गये खाते में नगद जमा कर सकता है। यह राशि संबंधित बालिका के माता–पिता यो अभिभावक को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से वितरित की जाती है। समाज सेवी संस्थाए भी इस योजना में बालिकाओ को दत्तक ले सकती है ।

कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिये ।

चयन : बालिका का चयन स्कूल के प्रधान अध्यापक, ग्राम सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम के प्रभावशील व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है ।

संपर्क : 1.ग्राम स्तर पर – स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक से ।

2.विकासखंड स्तर पर – विकासखंड शिक्षा अधिकारी से।

3.जिला स्तर पर – उपसंचालक, शिक्षा अथवा जिला शिक्षा अधिकारी से ।

राष्ट्रीय मेटरनिटी बेनिफिट योजना

उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी और ग्रामीण परिवार की गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिये आर्थिक सहायता सुलभ कराना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र : योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली ग्रामीण और शहरी परिवारों की गर्भवती माताओं को प्रसव से 500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती हैं। यह राशि प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पूर्व एक मुश्त दी जाती है। योजना माह नवम्बर 90 से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। भारत सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इस योजना की राशि भारत सरकार सीधे जिला पंचायतों को दी जाती है।

पात्र हितग्राही :

योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है :–

(1) गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष अथवा अधिक हो ।

(2) गर्भवती महिला गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की हो ।

(3) सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित जन्म तक ही देय होती है।

हितग्राही चयन प्रकिया :
पात्र गर्भवती महिला को योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन देना होता है।
योजना का कियान्वयन की प्रकियाः

ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त आवेदन पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर फैसला करती है। शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगरी निकाय को स्वीकृति के अधिकार है। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर आवश्यक निर्णय लेते है । अस्वीकृत की दशा में आवेदिका को स्पष्ट कारण भी बताना आवश्यक है।

सम्पर्क महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी,कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के प्रतिनिधि।

बालिका समृद्धि योजना

उद्देश्य :

गरीब परिवार में जन्मी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिका को सर्वागीण उन्नति के अवसर देकर समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना ।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्रः ययह योजना 2 अक्टूबर 1997 में सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। गरीब परिवार की महिला द्वारा 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्मी बालिका को 500 रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिये आवेदन दिया जा सकता है। बालिका को शिक्षा के लिये 6 वर्ष की आयु के बाद वार्षिक छात्रवृत्ति भी इस योजना में दी जाने का प्रावधान है।
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश योजना का कार्यक्षेत्र है।

पात्र हितग्राही :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला और अगस्त 97 के बाद जन्मी बालिकाएँ।

हितग्राही चयन प्रकिया : परिवार के कुल बच्चों में से दो बालिकाओं को ही योजना का लाभ दिया जाता है।

योजना कियान्वयन की प्रकिया : ग्राम पंचायत नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही का आवेदन प्राप्त कर कियान्वयन एजेंसी को प्रेषित कियाजाता है।

संपर्क :
महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी

आयुष्मति योजना

उद्देश्यः
ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की महिलाओं और बालिकाओं को बीमार होने पर उपचार और पौष्टिक आहार का प्रबंध करना ।

योजना का स्परूप और कार्यक्षेत्रः इस योजना में भूमिहीन परिवार की अस्वस्थ महिला और बालिका को एक सप्ताह तक उपचार के लिये चिकित्सालय में दाखिल रहने
पर 400 रूपये तक की सहायता,दवाइयों और पौष्टिक आहार के लिये दी जाती है। एक सप्ताह से अधिक की अवधि की स्थिति में सहायता राशि 1000 रूपये प्रति रोगी दी जाती है।

सहायता राशि उपचार के लिये दवाएँ, अतिरिक्त आवश्यक पौष्टिक आहार और फल तथा रोगी के साथ आये परिजन को दिन मेंभोजन की व्यवस्था पर व्यय की जा सकती है।

इस योजना में रोगी के परिजन के ठहरने के लिये जिला चिकित्सालय परिसरों में ही **एक विश्रामालय** बनाया गया है। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है । ि

पात्र हितग्राही :

ग्रामीण भूमिहीन परिवार की महिला या बालिका जो अस्वस्थ हो और उपचार के लिये प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल या जिला चिकित्सालय में दाखिल हुई हो अथवा अति कुपोषित बालिका ।

संपर्क :

महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी

अति गरीब महिलाओं को प्रसव पूर्व सहायता राशि के लि लिये योजना य(नवीन योजना)

उद्‌देश्य :

अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व आर्थिक सहायता के लिये यह योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्‌देश्य अति गरीब महिलाओं को प्रसव के पूर्व स्वयं ही देख–भाल और प्रसव के लिये होने वाले व्यय की कुछ हद तक प्रतिपूर्ति की जाना है।

योजना का स्परूप और कार्यक्षेत्रः यअति गरीब महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक प्रति प्रसव रूपये 500/– की प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना । योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

पात्र हितग्राही :

योजना की सहायता के लिये पात्रता निम्नानुसार निर्धारित है :–

(1) गर्भवती महिला की आयु 19 वर्ष या अधिक हो ।

(2) सहायता राशि केवल प्रथम दो जीवित बच्चों के प्रसवों तक देय होगी ।

(3) गर्भवती महिला का परिवार गरीबी रेखा के नीचे अत्यंत गरीब हो एवं अति गरीब के लिये पूर्व कराये गये सर्वेक्षण में पंजीकृत हो अथवा नीला राशन कार्डधारी हो।

(4) सहायता राशि 500 रूपये होगी,जो यथा संभव प्रसव के 6 माह पूर्व दी जावेगी ।

संपर्क :

महिला बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी

अध्याय–16
इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है

(इलेक्ट्रानिक फार्मेट अंतर्गत दो सी.डी है। जिसमें निम्न जानकारी के संबंध में दिखाया गया है।

शिल्पी विभाग की जानकारी विभाग की वेबसाईट w.mpwcd.org पर उपलब्ध है, जिसे निरंतर नवीनीकृत किया जाता है।

1- Shilpi- एक किशोरी बालिका द्वारा पोषण, स्वास्थ्य, बालिका, भ्रुण हत्या, बाल विवाह रोकथाम आदि पर केन्द्रीत जानकारी सरल शबदों में दी गई है।

2 सुनहरे सपने (Sunhare Sapne-) किशोरी बालिकाओं की विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीत रेडियों कार्यक्रम है जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा उनकी समयाओं पर चर्चा .समाधान प्रस्तुत किया है।

अध्याय–17
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुॅचाने के लिए जिले द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:—

1. नाटक / नुक्कड़ के माध्यम से
2. अखबारों के द्वारा
3. प्रर्दशनी (जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह, अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसरों पर)
4. सूचना पटल से
5. बेबसाईड के माध्यम से – वेबसाई का पता
6. अन्य प्रचार प्रसार के साधन (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के माध्यम से)

उपरोक्तानुसार माध्यमों से विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

अध्याय–18
अन्य उपयोगी जानकारियॉ

18 18.1 सूचना प्राप्त करने के संबंध में –

आवेदन पत्र–सूचना के अधिकार के लिए निर्धारित किया गया प्रारूप।

शुल्क–प्रति पेज रू. 1.00 (एक रूपये)

सूचना आवेदन पत्र पर मॉगे जाने वाली टिप्स– उदिशा प्रशिक्षण

सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिको के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया–

सूचना के अधिकार के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

18 18.2 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में –
लोक प्राधिकरण द्वारा जनता के लिये कोई प्रशिक्षण नही है। मात्र उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभागीय अमले को प्रशिक्षण दिया जाता है।

उक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन नीतिगत निर्णय के अनुसार शासन के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यो तथा निर्णयों में पारदर्शिता लाई जाने एवं आम व्यक्ति को इस पारदर्शिता के संबंध में निर्णयों के आधारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन, आवेदक के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा। इसके लिये निर्धारित आवेदन/शुल्क जमा करने के पश्चात् अधिकतम तीस दिनों की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे निवासरत हितग्राहियों के द्वारा सूचना चाही जाने पर उन्हे तद्नुसार प्रमाण प्रस्तुत करने पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उप समिति के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगीः–

आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र–1 में वांछित जानकारी दिया जाना होगा। आवेदन देने पर उसे पावती प्राप्त होगी।

आवेदक को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा यदि वह जानकारी डाक से प्राप्त करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र विभाग/कार्यालय से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र को संबंधित विभाग/कार्यालय को अंतरित करते हुये आवेदक को सूचित करेगा। ऐसे अंतरित किये गये आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय सीमा उस दिनांक से प्रारंभ होगी जिस दिनांक को आवेदन पत्र संबंधित विभाग/कार्यालय को प्राप्त होगा ।

सूचना के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 48 घंटे में सूचना प्रदाय की जाने पर सफेद रंग का आवेदन तथा 30 दिवस में सूचना प्रदान की जाने के लिए पीले रंग का आवेदन भरा जाना होगा, परंतु समय का निर्धारिण लोक सूचना अधिकारी करेगा कि मांगी गई सूचना कितने घंटे/दिवस में दी जानी है।

आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के उपरांत विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु तैयार निर्धारित समय सारणी अनुसार की जावेगी । आवेदन प्राप्ति की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज की जावेगी।

निराकरण होने पर अन्य पंजी में दर्ज की जायेगी कि सूचना प्रदाय की जा चुकी है या निराकृत हो चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

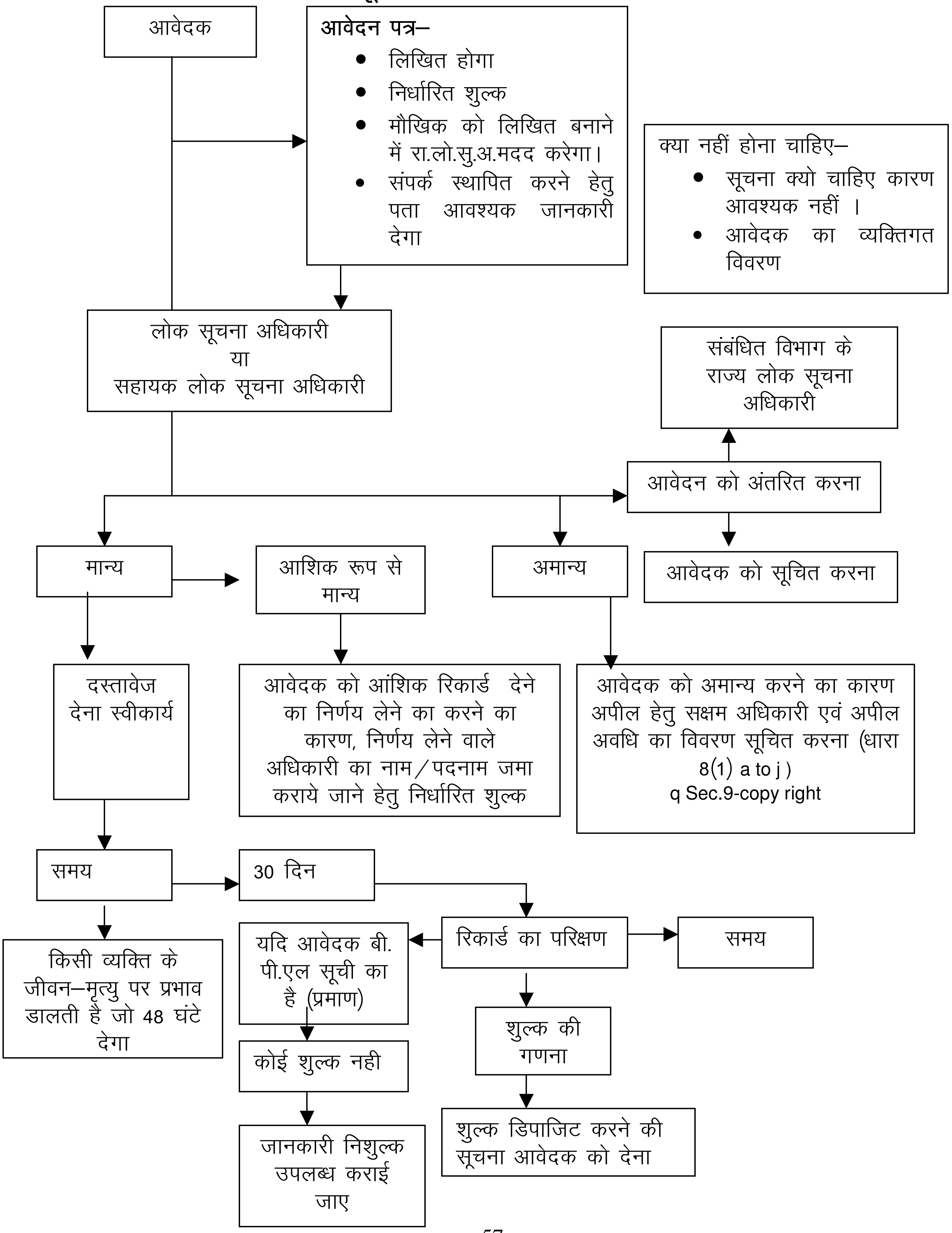

18.1 1 विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय (आंगनवाडी केन्द्रों के लिये पूरक पोषण आहार, खेल खिलोने, मेडिसिन कीट इत्यादि) तथा उर्पाजन के निर्देशों की प्रतिलिपियॉ ।

18.2 –1 सुचना प्राप्त करने के लिये (प्रतिलिपिया प्राप्त करने/अभिलेख का अवलोकन करने के लिये) कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होगा ।

–2 अभिलेखों की प्रतिलिपिया देने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है ।

पेपर का साईज	**निर्धारित शुल्क**
ए–4 साईज पेपर की प्रति(एक और)	2.00 रूपये
ए–3 साईज पेपर की प्रति(एक और)	4.00 रूपये
साधारण नस्ती की हस्तलिपि प्राप्त करने पर (एक पृष्ठ)	5.00 रूपये

–3 चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सादे कागज पर आवेदन करना होगा ।

–4 सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदनकर्ता यदि चाहे तो तीन सप्ताह के अन्दर

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित उच्च अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

समाप्त